न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 515–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–3–15 पारित द्वारा तहसीलदार, कुक्षी जिला धार प्रकरण कमांक 286/अ–68/2011–12.

जगदीश प्रसाद पुत्र देवी प्रसाद जायसवाल
निवासी ग्राम टाण्डा
तहसील कुक्षी जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, धार
जिला धार .....अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र शुक्ला, अभिभाषक,अनावेदक
श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक, आपत्तिकर्ता

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/9/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, कुक्षी जिला धार द्वारा पारित आदेश 5–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार, कुक्षी जिला धार के समक्ष आवेदक द्वारा ग्राम टाण्डा स्थित श्री नरसिंह मंदिर की कृषि भूमि सर्वे कमांक 220, 221 कुल रकबा 0.084 हेक्टेयर में से रकबा 0.004 हेक्टेयर (15X30 वर्गफीट) पर दुकान का निर्माण कर अतिकमण किए जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गई । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 286/अ–68/2011–12 पंजीबद्ध कर कार्यवाही

करते हुए दिनांक 5–3–15 को आदेश पारित कर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये साथ ही 15000/– रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना व सुनवाई तथा साक्ष्य का अवसर दिये बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत आदेश पारित करने में भूल की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर कोई विचार नहीं कर आदेश पारित किया गया है, जो नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि सीमांकन कार्यवाही से पूर्व आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया था एवं वह अनुपस्थित रहे, जबकि वास्तविकता यह है कि सीमांकन की कार्यवाही से पूर्व आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया और ना ही उसे प्राप्त हुआ है । इस आधार पर कहा गया कि सूचना पत्र के अभाव में जो सीमांकन की कार्यवाही की गई है, वह विधिवत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि उसके द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर निर्माण कार्य किया गया है, जिसे बिना विधिवत सीमांकन के अवैध नहीं माना जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नरसिंह मंदिर की भूमि के संबंध में एक अन्य प्रकरण क्रमांक 2548–पीबीआर/2014 आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12–8–2014 को स्थगन आदेश पारित किया गया है और स्थगन के प्रभावशील रहते तहसील न्यायालय को कार्यवाही किये जाने का कोई अधिकार ही नहीं था । अतः उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश अधिकारिता रहित होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश विधिवत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है, अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1141–पीबीआर/12 में दिनांक 11–7–2012 को आदेश पारित कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि आवेदक की उपस्थिति में उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 223 एवं 225 रकबा 0.084 हेक्टेयर (160x56 वर्गफीट) एवं नरसिंह मंदिर की समस्त भूमियों का सीमांकन किया जाये, तदोपरान्त आवेदक को उसके स्वामित्व की भूमि प्रदान किये जाने के पश्चात ही यदि शासन की भूमि निकलती है तो सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधि अनुसार आदेश पारित किया जाये, परन्तु तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही नहीं करते हुए यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पूर्व में सीमांकन होने से पुनः सीमांकन की आवश्यकता नहीं है, बिना सीमांकन किये आदेश दिनांक 5–3–2015 पारित किया गया है, जो कि जहां इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, वहीं अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश के पालन में दिनांक 30–11–2012 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को सीमांकन हेतु निर्देशित किया गया है, परन्तु सीमांकन दल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कर सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है । तहसीलदार द्वारा अनेक स्मरण पत्र सीमांकन दल को जारी किये गये हैं, इसके बावजूद भी सीमांकन दल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कर सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। दिनांक 27–2–2015 को तहसीलदार द्वारा पुनः सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने बावत् स्मरण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं एवं दिनांक 5–3–2015 को अपने ही आदेश के विपरीत पुनः सीमांकन नहीं करने संबंधी आदेश पारित किया गया है और पूर्व में किये गये सीमांकन के आधार पर ही आदेश दिनांक 5–3–2015 पारित कर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने के आदेश दिया गया है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । प्रकरण में पूर्व में किये गये सीमांकन से संबंधित फील्डबुक, नोटिस आदि भी प्रकरण में संलग्न नहीं है, अतः ऐसे सीमांकन के आधार पर तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश पारित करने में पूर्णतः विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, अतः तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस

प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11–7–2012 में दिये गये निर्देशों का पालन कर प्रकरण का निराकरण किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, कुक्षी जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–3–2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर